बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
-:: अधिसूचना ::-

सं0सं0-स0क0निग0-163/2019.2629./श्रीमती पुष्पा कुमारी राय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गोरौल, वैशाली के विरूद्ध आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्रांक-5349, दिनांक-02.09.20219 द्वारा आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें मोहम्मदपुर दरियापुर, हरशेर, हरिजन टोला मध्य टोला, बिदौलिया मिन्नी एवं बहादुपुर केन्द्रों पर पंजी की अनुपलब्धता, पोषाहार वितरण की कमी, बच्चों की अनुपस्थिति जैसी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-6029, दिनांक-12.09.2019 द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी राय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती राय के पत्रांक-292, दिनांक26.09.2019 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। स्पष्टीकरण में देर से निकासी के कारण टी०एच०आर० वितरण में देरी, संबंधित टोले में शादी रहने के कारण कम बच्चों की कम उपस्थिति एवं निरीक्षण पदाधिकारी पर गलत जाँच करने का उल्लेख किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर आई०सी०डी०एस० निदेशालय से मंतव्य की मांग की गयी। जिसपर आई०सी०डी०एस० निदेशालय के पत्रांक-1015, दिनांक-11.02.2020 से मंतव्य प्राप्त हुआ। मंतव्य में कार्य के प्रति लापरवाही एवं गलत तथ्यों का सहारा लेने का उल्लेख करते हुए सभी उत्तर को स्वीकार करने योग्य नहीं बताया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में श्रीमती पुष्पा कुमारी राय के विरूद्ध विभागीय संकल्प-4343, दिनांक-04.12.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय पत्रांक-1933, दिनांक-13.04.2021 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभिकथन/स्पष्टीकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव के समर्थन में तार्किक साक्ष्य न दे कर निरीक्षी पदाधिकारी पर ही दोषारोपण किया गया है। उक्त आरोप के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अभिलेख खोलकर सुनवाई की गई, सभी पक्षो को सुनने एवं सेविका के स्पष्टीकरण तथा बच्चों की उपस्थिति पंजी के अवलोकनोपरान्त सेविका के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में केन्द्र का संचालन विभागीय निदेश के आलोक में करना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक- 52 दिनांक- 19.06.2019 द्वारा पूरक पोषाहार के समतुल्य राशि दण्डस्वरूप सेविका के मानदेय से वसूली करने एवं 15 (पन्द्रह) दिन का मानदेय सहायिका से वसूली करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है, जिसका अनुपालन करने हेतु श्री विकास, डाटा ऑपरेटर को आरोपित पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण / पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी राय के विरूद्ध कुल 05 में से 02 आरोप प्रमाणित एवं 03 आरोप आंशिक रूप प्रमाणित पाये गये। जिसके आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा भी की गई। श्रीमती पुष्पा कुमरी राय द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में भी विभागीय कार्यवाही एवं पूर्व लिखित अभिकथन के तथ्यों को दोहराया गया। उक्त सभी तथ्यों के आलोक में बी०पी०एस०सी० से सहमति प्राप्त कर अधिसूचना-18 दिनांक-03.01.2022 द्वारा श्रीमती राय के विरूद्ध दो वेतनावृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित की गयी। श्रीमती राय द्वारा इस दंड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका (CWJC No. 9202/2024) दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक-23.02.2026 को यह आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता 30 दिनों के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपनी अर्जी प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय ने विभाग को निर्देशित किया है कि विभाग इस अर्जी पर 90 दिनों के भीतर एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट (Reasoned and Speaking Order) आदेश पारित करें।

श्रीमती पुष्पा कुमारी राय द्वारा उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में दिनांक-02.03.2026 को पुर्नविचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपनी अर्जी में उन्होंने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि उनकी विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपली) नियमावली, 2005 के नियम-17 उपनियम-3, 4, 6, 11 एवं 14 के साथ-साथ "Bihar Framing of Articles of Charge Regulations, 2017" का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने उल्लेख किया है कि आरोप-पत्र के साथ साक्षियों की कोई सूची संलग्न नहीं थी और न ही जाँच के दौरान साक्षियों का परीक्षण कराया गया। विशेष रूप से यह अंकित किया गया है कि जिस प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप सिद्ध किए गए,

उसकी लेखिका श्रीमती सुगन्धा शर्मा को भी साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो विधिक सिद्धांतो और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'रूप सिंह नेगी' बनाम 'पंजाब नेशनल बैंक' मामले में प्रतिपादित न्यायादेश के प्रतिकूल है।

सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-585, दिनांक-09.01.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया से संबंधित Flow Chart उपलब्ध कराया गया है। जिसमें अनुशासनिक कार्रवाई संचालन नियम-17 कंडिका(3) में अंकित है कि "यदि आरोप पत्र में गवाहों की सूची नहीं हो तब संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी एवं आरोपी-दोनों से उसके गवाहों की सूची की मांग की जायेगी तथा प्राप्त सूची दोनों को उपलब्ध करायी जायेगी।"

श्रीमती पुष्पा कुमारी राय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-6029, दिनांक-12.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसके आलोक में श्रीमती राय के पत्रांक-292, दिनांक-26.09.2019 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती राय द्वारा आरोप पत्र में गवाहों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्रीमती राय द्वारा अपना अभिकथन संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया, जिसमें किसी गवाह को जोड़े जाने के संबंध में श्रीमती राय द्वारा संचालन पदाधिकारी से कोई अनुरोध नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-2285, दिनांक-16.06.2021 द्वारा श्रीमती राय से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी जिसके आलोक में श्रीमती राय के पत्रांक-शून्य, दिनांक-27.07.2021 द्वारा अपना अभ्यावेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें कोई नये तथ्य/ साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया और न ही गवाहों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज की गयी।

उक्त से स्पष्ट है कि आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध होने पर एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान किसी भी मौके पर श्रीमती राय द्वारा गवाहों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी और न ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया में नियम-17 कंडिका (3) के अंतर्गत गवाहों की सूची की मांग की गयी। अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती पुष्पा कुमारी राय के पुर्नविचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इस पर पुनरीक्षण प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क० निग0-163/2019- पटना-15 दिनाक :-

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ईमेल/ निबंधित

ज्ञापांक :- स0क० निग0-163/2019- 2629 पटना-15 दिनांक:- 29.05.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, वैशाली/ सीतामढ़ी / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वैशाली/ सीतामढ़ी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), श्रीमती पुष्पा कुमारी राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली, सम्प्रति अस्थावाँ (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।